States is given in the form of block loans and grants which is not related to any sector of development or individual scheme. The Central Government, however, provided advance plan assistance to certain States with a view to accelerate the execution of selected major and medium irrigation projects during 1975—78 in these States, as per statement attached.

(d) A number of major and medium irrigation projects are already under construction in these States and efforts are being made for their early completion. Outlays on irrigation programmes in these States are being increased and new schemes would be taken up which would include modernisation of existing irrigation systems to improve their efficiency and provide additional irrigation facilities.

Statement

Additional Outlays (advance Plan assistance) for Major and Medium Projects during 1975—78 in the States of Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan

Name of State	1975-76	1976-77	1977-78 (proposed)
			(Rs. in crores)
Gujarat	7·30	3·00	11·00
Karnataka	2·00	3·55	11·00
Madhya Pradesh	..	1·75	11·00
Maharashtra	5·50	3·85	15·00
Rajasthan	6·00	3·00	7·30

किसानों को कीटनाशी औषधियां उपलब्ध कराया जाना

1773. **श्री मनोहर लाल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसान कीटनाशी औषधियों का उपयोग अपनी आवश्यकतानुसार नहीं कर सकते है क्योंकि वे भिन्न भिन्न नामों से ऊंचे दामों पर बिक रही है, और

(ख) सरकार किसानों को उन्हें सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) कृषकों को कीटनाशी औषधियों को सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों ने जो कदम उठाये है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

1 सरकार ने देश में निर्माण की जाने वाली कृमिनाशी औषधियों की प्रमुख मदों के लागत के ढांचे की जांच करने का कार्य औद्योगिक लागत और मूल्य सम्बन्धी ब्यूरो को सौंपा था, ताकि उचित स्तर पर मूल्य निर्धारण के अन्तिम उद्देश्य

से लाभ का मार्जिन सुनिश्चित किया जा सके । औद्योगिक लागत और मूल्य सम्बन्धी ब्यूरो की तकनीकी ग्रेड की कृमिनाशी औषधियो की 10 मदों की रिपोर्टों से यह बात स्पष्ट होती है कि इन मदों तथा इनके फारमुलेशनो के मूल्यो मे कमी करने की कुछ गुजायश थी । अत सरकार ने इस उद्योग मे अपने मूल्यों को कम करने के लिए उन्हे समझाने की दृष्टि मे उनसे बातचीत की । इस विचार-विमर्श के फलस्वरूप उद्योग ने कई कृमिनाशी औषधयो के मूल्यो को 2 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक कम करना स्वीकार किया । विनिर्माताओ ने अब उन मे से अधिकाश मूल्यो को कम कर दिया है ।

2 सरकार ने कृमिनाशी औषधियो को आवश्यक जिंस के रूप मे घोषित करके उन्हे आवश्यक जिंस अधिनियम के अन्तर्गत ले लिया है ।

3 सरकार, राष्ट्रीय दृष्टि से 5 महत्वपूर्ण कृमियों/रोगो के नियत्रण के लिए कृमिनाशी औषधियो की लागत 50 प्रतिशत की दर से राज-सहायता दे रही है ।

4 छोटे तथा सीमात कृषको को कपास, सरसो तथा मूगफली पर हवाई छिडकाव करने के कार्य के व्यय के लिए प्रति एकड 10 रु० की राज-सहायता और अन्य कृषको के लिए प्रति एकड केवल 7 रुपये की राज-सहायता दी जाती है ।

5 स्थानीक मारी की कृमियो के नियत्रण के लिए कृषको को हवाई छिडकाव के कार्य के व्यय के लिए प्रति एकड 7 रुपये की दर से और जमीन के छिडकाव के कार्य के व्यय के लिए प्रति एकड 3 रुपये की दर से राज-सहायता दी जाती है ।

6 सरकार ने वर्ष 1974 से तकनीकी ग्रेड की कृमिनाशी औषधियो के 50 प्रतिशत के वितरण की एक योजना प्रारम्भ की है, ताकि राज्य के भीतर उनके फारमुलेशन के माध्यम से कृमिनाशी औषधियों की सुगम उपलब्धि हो सके और उनके मूल्य स्थिर हो सक ।

7 एकाधिकार को समाप्त करने और मण्डी मे तीव्र प्रतियोगिता शुरू करने के उद्देश्य से सरकार अधिक कृमिनाशी औषधियो का उत्पादन करने के लिए स्थानीय उद्योग को प्रात्साहन दे रही है ।

8 राज्य सरकारो को सलाह दी गई है कि वे राज्य मे कृमिनाशी औषधि का बफर स्टाक बनाए ताकि आपात स्थिति के दौरान सप्लाई सुनिश्चित की जा सके और कीटनाशी औषधियो के मूल्य स्थिर हो सके ।

9 कुछ राज्य सरकारे अपनी राज्य योजना के अन्तर्गत छोटे तथा सीमात कृषको को कृमिनाशी औषधियो पर 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की राज-सहायता भी दे रही है ।

10 फोसलोन तकनीकी ग्रेड की सामग्री पर कुल सीमा शुल्क 75 प्रतिशत से घटा कर 45 प्रतिशत कर दिया गया है । जहा तक सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा सीमा-शुल्क के रियायत के लिए सिफारिश की गई अन्य कृमिनाशी औषधियो का सम्बन्ध है, उस पर विचार किया जा रहा है ।